फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री राकेश | **विपक्षी : श्री मदनलाल**

किस्म मुकदमा –53,88,188 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 68 / 23**

जीसीएमएस : 2023 / 235

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 28.06.2024 पत्रावली अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा प्रार्थना पत्र तलबी मय वाद विड्रो का पेश करने पर तलब की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र तलबी मय विड्रो का पेश कर वाद को इसी स्तर पर विड्रो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी एवं स्वयं वादी को प्रार्थना पत्र वाद विड्रो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विड्रो को पढकर अधिवक्ता वादी मय वादी को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। वादी की पहचान अधिवक्ता वादी द्वारा की गई। चूंकि अधिवक्ता वादी मय वादी अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विड्रो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का स्वीकार किया जाकर वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विड्रो फरमाया जाकर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(मनसुख राम डामोर)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	